



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 15.08.2024

इटावा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये नाबालिग बालक का अपहरण करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सिविल लाइन पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.08.24 को वादी भूरे पुत्र शिव नारायण निवासी ग्राम नगला नगौली थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी कि जब उसका 07 वर्षीय पुत्र मयंक सुबह समय करीब 7:30 बजे स्कूल जा रहा था तभी ऑटो से 03 व्यक्ति आये और उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। सूचना पर तत्परता दिखाते हुये थाना सिविल लाइन पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से आवश्यक बल प्रयोग कर अपहरण करने वाले 02 व्यक्तियों को **01 ऑटो UP 75 BT 5927** सहित पकड़ लिया व 03 व्यक्ति भागने में सफल रहे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

पुलिस टीम द्वारा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया जिनके द्वारा इटावा पुलिस एवं एसएसपी इटावा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में **थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 169/2024 धारा 140(2)/61(2)**

बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना मे प्रयुक्त 01 ऑटो को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनीष पुत्र जयवीर सिंह सराय दयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष**।
2. अभिषेक उर्फ हिमांशु पुत्र राजेश कुशवाहा निवासी अनूप नगर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 23 वर्ष**।

वाँछित अभियुक्त:-

1. विशाल उर्फ टल्लू उर्फ राज पुत्र अनुप सिंह निवासी शीतलपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
2. शैलेन्द्र उर्फ सल्लू पुत्र अमित राजपूत निवासी नगला नगौली थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
3. घुड़ा पता अज्ञात।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 169/2024 धारा 140(2)/61(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. **01 ऑटो नं0 UP 75 BT 5927 (घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम- निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन मय टीम।